

(म०प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 के द्वितीय परन्तुक
के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं की वैधानिक संपरीक्षा सनदी लेखापाल/सनदी
लेखापाल फर्म को आवंटित करने हेतु प्रयोक्तव्य)

वचन/सहमति पत्र

मैं/हम (फर्म का नाम एवं पता)
..... शीर्ष/जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित
(प्राथमिकता क्रम चयन अनुसार नाम अंकित करें अथवा सूची संलग्न करें) की वैधानिक
संपरीक्षा वर्ष 2023-24 के लिए प्राधिकृत करने की स्थिति में एतद् द्वारा
घोषणा करते हैं/वचन देते है :-

1. म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (17, सन 1961) एवं उसके
अधीन विरचित सहकारी सोसायटी, नियम 1962 संबंधित संस्था के उप
नियम एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश द्वारा परिपत्रीय
व्यवस्था/प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।
2. पंजीयक सहकारी संस्थायें म.प्र. के क्रमांक/अंके./2/2024/17 दिनांक
दिनांक 05.01.2024 से निर्धारित शर्तों का पालन सुनिश्चित किया
जावेगा।
3. किसी सहकारी संस्था की वैधानिक संपरीक्षा हेतु आवश्यक गोपनीयता
व्यवहारित की जाकर पंजीयक सहकारी संस्थायें म.प्र. के प्रति उत्तरदायित्व
का निर्वहन किया जावेगा।

हस्ताक्षर

(प्रतिनिधि का नाम एवं मुद्रा)

फर्म का नाम

.....
फर्म का एफ.आर.एन. क्रमांक

.....